P1 R.M.M Law College - Saharsa

Manvendra Mandal
Part-time Lecturer

Subject - Hindu marrage Act
part - 1

हिन्दू विवाह अधिनियम का महत्व

भारत में हिन्दू विवाह अधिनियम स्त्रीयों की अतिदयनीय, अधोगति समाज में फैले कुरीतियों का परिणाम है यह एक प्रकार का स्वीय विधि है जो मूलत: हिन्दू धर्म के अनुयायियों पर लागू होती है। हिन्दू विवाह अधिनियम हिन्दू विधि के क्षेत्र में अभूतपूर्व एवं गतिशील परिवर्तनों का द्योतक है। कोई विधि अधिक समय तक मानव समुदाय की सेवा कर सके इसके लिए आवश्यक है कि उसमें परिवर्तन शीलता के गुण हो जिससे किउसे समय के साथ बदलते हुए मानवीय, सामाजिक एवं दार्शनिक मूल्यों के अनुरूप ढाला जा सके। हिन्दू विधि का यह दुर्भाग्य रहा कि वह एक लम्बे समय तक वेदों एवं शास्त्रों के प्रावधानों तक सीमित रही। फलत: इसमें तमाम ऐसे प्रावधान विद्यमान रहे जो कि असामाजिक एवं अमानवीय हो चुके थे। पुरुष प्रधानता के कारण समाज में नारी का स्थान गौण हो गया। चूँकि अधिकांश प्राचीन विधि निर्माता पुरुष प्रधान समाज एवं सामंती परिवेश का प्रतिनिधित्व करते थे। अत: उनके द्वारा रचित धर्मशास्त्रों में नारी को पुरुष की तुलना में अत्यधिक हीन माना गया तथा उस पर अनेक अमानवीय रूढ़ियों का बोझ लाद दिया गया एवं कठोर प्रतिबंध लगा कर उसकी सामाजिक स्वतंत्रता का अपहरण करके उसे पुरुष का दासी माना जाने लगा।

उत्तरोत्तर सामाजिक प्रगति के साथ-साथ नारी की स्थिति सुधरने के बजाय और भी दयनीय होती गयी। वस्तुत: स्त्री एक विचारशील व्यक्तित्व नहीं, बल्कि अन्य सम्पतियों की भाँति पुरुष की सम्पति समझी जाने लगी। पुरुष चाहे अनेक शादियाँ करे या उम्र की किसी भी अवस्था में शादी करे परन्तु नारी का कुमारी रहना एवं अपरिणीता होना अनिवार्य था। पति कैसा भी हो स्त्री उसके बन्धन से मुक्त नहीं हो सकती थी, यहाँ तक कि पति के मृत्यु के पश्चात भी उसका पति से विवाह अक्षुण माना जाता था। पति के साथ चिता में जीवित जल जाना ही उसके पतिव्रता होने का सर्वोच्च प्रमाण मान लिया गया।

Scanned with CamScanner

[1-2] हिन्दू विवाह अधिनियम का महत्व:

उत्तरवैदिककाल, पौराणिक एवं मध्ययुगीन सामाजिक परिवेश में सर्वत्र नारी की दुर्दशा परिलक्षित होती है। मध्यकाल में दासता के प्रभाव एवं पराधीनता के कारण हिन्दू सामाजिक व्यवस्था और नियमों में अनेकानेक कुरीतियाँ आ गई। स्त्री को शिक्षा से वंचित रखना, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, स्त्री की खरीद-फरोख्त, जैसे अनेकानेक अशोभनीय कठोर बन्धन तत्कालीन समाज के कर्णधारों ने लगा दिये, जिस कारण भारतीय समाज प्रगति करने के बजाय काफी पीछे चला गया।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में गिनती के कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने परतंत्रता के दुष्परिणामों को अनुभव किया। स्वतंत्रता की भावना जागृत होने के परिणाम स्वरूप जो राजनैतिक एवं सामाजिक अभ्याय उभर कर सामने आये उनमें नारी के साथ पुरुष द्वारा असमानता का व्यवहार भी था। इस बात को तीव्रता के साथ अनुभव किया जाने लगा कि सामाजिक प्रगति एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए समाज में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त किया जाए। भारतीय समाज सुधारकों द्वारा अंग्रेजी शासनकाल में अथक परिश्रम इस दिशा में किया गया जिसके फलस्वरूप कई अन्यायपूर्ण प्रथाओं को कानून बना कर रोका गया तथा कानून का पालन न करने पर दण्ड की व्यवस्था की गयी। सर्वप्रथम सन 1829 ई० में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर विलियम बेंटिक ने महान समाज सुधारक राजाराममोहन राय के प्रयत्नों के फलस्वरूप सती प्रथा को दण्डनीय बना दिया तथा उसे अपराध घोषित किया। बंगाल के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों से विधवाविवाह को कानून सम्मत बनाने हेतु सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। समाज सुधारक हरविलास शारदा के प्रयत्नों के फलस्वरूप सन् 1929 में बाल विवाह निषेद अधिनियम पारित किया गया। सन 1937 ई० में आर्यविवाह विनियमितिकरण अधिनियम द्वारा हिन्दु समाज में अर्न्तजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गयी। इससे पूर्व 1860 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दण्ड संहिता में बहु विवाह को अपराध घोषित किया

Scanned with CamScanner

3 हिन्दू विवाह अधिनियम का महत्व

तथा नारी के सम्मान की रक्षा के लिए अन्य प्रावधान भी किये गये। लेकिन इन सब के बावजूद नारीयों की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह अनुभव किया जाने लगा कि वस्तुतः स्त्री की सामाजिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है तथा इसमें अत्यधिक सुधार की गुंजाइश है ताकि नारी एवं पुरुष के बीच असमानता के अन्तर को कम करने के उद्देश्य से हिन्दू विवाह अधिनियम सन् 1955 पारित किया गया जो नारी के सामाजिक हैसियत कम से कम विवाह के मामले में पुरुष के बराबर मानता है और भारतीय संविधान के अन्तर्गत समानता के भावना के अनुरूप स्त्री-पुरुष के मध्य भेदभाव को समाप्त करता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के पारित होने के बाद जो महत्वपूर्ण परिवर्तन अस्तित्व में आये वे काफी महत्वपूर्ण है। प्राचीन हिन्दू विधि में विवाह विच्छेद तथा विवाह विघटन जैसी अवस्था को धर्म ग्रंथों ने बिलकुल नकार दिया था किन्तु इस अधिनियम द्वारा हिन्दू विधि में तलाक की व्यवस्था की गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि अब पति एवं पत्नी अपने इच्छा के विरुद्ध एक दूसरे के साथ आजीवन रहने हेतु बाध्य नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन जातीय आधार पर निर्योग्यता समाप्त करने से सम्बन्धित, इस प्रावधान का सुखद पक्ष यह कि अब कोई भी व्यक्ति हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी जाति के हिन्दू से विधिवत विवाह कर सकता है। पहले यह प्रावधान केवल आर्य समाज के लिए उपलब्ध था। इसी अधिनियम की विशेष व्यवस्था द्वारा बहु विवाह की प्रथा को विराम लगाया गया। इस प्रावधान का सबसे सुन्दर व सुखद परिणाम यह निकला कि अब कोई भी हिन्दू पति अपने जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। अन्य सुधारों में भरण-पोषण के दायित्वों का प्रावधान तथा पत्नी को भी तलाक प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। पत्नी को अब यह स्वतंत्रता है कि वह स्वयं चाहने पर तलाक ले सकती है।

क्रूरता, परित्याग, जारता, पागलपन तथा रतिजन्य रोग जैसी परिस्थितियों जिनमें पत्नी प्राचीन काल में निर्वाह करने हेतु बाध्य थी, अब वह पति से विवाह विच्छेद कर सकती है। ऐसे ही अधिकार पति को भी प्रदान किये गये हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार

प्र.4 हिन्दू विवाह अधिनियम का महत्व

विवाह को एक अटूट बन्धन तथा अलौकिक सम्बन्ध न मानते हुए इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अब यदि दम्पति को वैवाहिक सम्बन्ध बोझ होने लगे और वे यह समझते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सुचारु रूप से नहीं चल सकता तो दोनों को इस अधिनियम में अधिकार दिया गया है कि वे पारस्परिक स्वीकृति से संयुक्त याचिका देकर न्यायालय से विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं। उपर्युक्त सभी महत्वपूर्ण सुधार तथा प्रावधानों के बावजूद एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि कोई पक्ष बिना युक्तियुक्त कारण के अपने वैवाहिक कृत्यों का निर्वाह नहीं करता है तो दूसरा पक्ष वैवाहिक अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः संक्षेप में ऐसा गर्व के साथ कहा जा सकता है कि वास्तव में हिन्दू विवाह अधिनियम द्वारा हिन्दू वैवाहिक विधि में एक युगान्तकारी परिवर्तन और सुधार के मजबूत स्तंभ को स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं पुरुष और स्त्री को समान अधिकार प्रदान कर खास कर नारी समुदाय को समाज में एक अलग पहचान बना कर स्वतंत्र जीवन जीने का राह प्रशस्त कर दिया है। यही हिन्दू विवाह अधिनियम का सबसे बड़ा और क्रान्तिकारी महत्व है।

The end.